संख्या: 17/2018/1365/12-2-2018-17/2018

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2018

विषय: बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि हेतु विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/10-जी/29-टी/कैबीनेट नोट/2.बीके.-आल क्राप्स/2017-18 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि हेतु विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ, 2018 से खरीफ, 2021 तक धान्य, कदन्नों, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों को 80 प्रतिशत तक अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान की सीमा के पश्चात अवशेष अनुदान की धनराशि राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान के रूप में कृषकों को निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी:-

फसल का नाम	बीज वितरण पर देय अनुदान (रू0/कुंतल)	
	केन्द्र सरकार (निधारित धनराशि अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो)	राज्य सरकार (निर्धारित धनराशि अथवा मूल्य का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो)
धान (उन्नतशील प्रजातियॉ)		
10 वर्ष से कम अवधि	2,000	1,200
10 वर्ष से अधिक अवधि	1,000	600

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धान (संकर नोटीफाइड प्रजातियॉ)	10,000	8,000
ज्वार एवं बाजरा		
संकुल प्रजातियॉ- 10 वर्ष से कम अवधि	3,000	1,500
संकर प्रजातियॉ (नोटिफाइड)	10,000	5,000
मक्का-		
संकर नोटिफाइड	10,000	5,000
दलहन (उर्द, मूंग एवं अरहर)		
10 वर्ष से कम अधिक	5,000	2,500
10 वर्ष से अधिक अवधि	2,500	1,250
तिलहन- तिल		
15 वर्ष से कम अवधि	8,000	4,000
तिलहन-सोयाबीन एवं मूंगफली		
15 वर्ष से कम अवधि	4,000	2,000
कदन्न (कोदों एवं सांवा)		
10 वर्ष से कम अवधि	3,000	1,500
10 वर्ष से अधिक अवधि	1,500	750

3. उल्लेखनीय है कि कपास एवं कदन्नों (सांवा, कोदो मडुवा, रागी आदि) की खेती बुन्देलखण्ड में नगण्य क्षेत्र में होती है जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र में इन फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। पूर्व में बुन्देलखण्ड में कपास की खेती के दृष्टिगत इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को इनके बीज नि:शुल्क मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. प्रमाणित बीज वितरण पर विशेष अनुदान एवं कपास, कोदो व सांवा के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण पर अनुमानित अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार की "प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना" एवं संकर बीज वितरण पर विशेष अनुदान पर अनुमानित अतिरिक्त व्च्यय "संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक व्यवस्था से वहन किया जायेगा। एक कृषक को अधिकतम 2.00 हे0 क्षेत्र हेतु प्रमाणित/संकर बीज पर विशेष अनुदान देय होगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को "प्रथम आवत-प्रथम पावत" के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों को देय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष अनुदान उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। कपास के 5.00 कि0ग्रा0 के एवं कोदो व सांवा के 3.00 कि0ग्रा0 के बीज मिनीकिट तैयार किये जायेंगे तथा एक कृषक को मात्र एक बीज मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, क्रियान्वयन पद्धति, कृषकों की आय एवं सामाजिक व आर्थिक स्तर में बदलाव आदि बिन्दुओं पर योजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन एक विश्वसनीय संस्था के माध्यम से कराया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा बेसलाइन सर्वे तथा प्रत्येक खरीफ फसल के बाद वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जनवरी माह में प्रस्तुत की जायेगी। खरीफ 2021 समाप्त होने के पश्चात संस्था द्वारा समस्त पहलुओं का विश्लेषण करते हुए सम्पूर्ण योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।